न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 188 / 2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/ 00033)

1 रजिया पुत्री शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2 सुमईया पुत्री शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
3 हलीमा पुत्री शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
4 जरीना पुत्री शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. युसफ खॉ पुत्र शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सलीम खॉ पुत्र शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. आजम अली पुत्र शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मोबीना पुत्री शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 शकीना पत्नि शरीफ मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान साकिन जोगीआसन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 राजस्थान सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः
1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री गगन मोदी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1,2,3,4,5
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली –राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 28–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) नोहर जिला हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 04–10–2016 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि युसफ खा, सलीम खां, एव आजमअली ने नामान्तरण सं. 994 दिनांक 06.10.2015 के विरूद्व अति.

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला कलक्टर नोहर में अपील पेश की। अति. जिला कलक्टर नोहर ने अपने निर्णय दिनांक 18.03.2016 द्वारा नामान्तकरण सं. 994 दिनांक 06.10.2015 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नोहर को रिमाण्ड कर पक्षकारो को सुनकर पुन विधि अनुसार नामान्तकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तहसीलदार नोहर ने रिमाण्ड प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 04.10.2016 द्वारा मृतक शरीफ मोहम्मद के नाम दर्ज उक्त हिस्सा की भूमि का विरासतन नामान्तकरण मुस्लिम विधि (सुन्नी सम्प्रदाय) अनुसार दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का के नाम आदेश जारी किये। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान कंहा कि रोही मोजा चक देईदासपुरा के खसरा नं. 70 की तादादी 8.4860 हैक्टयर भूमि सयुक्त खाते में मृतक शरीफ मोहम्मद की 1/4 हिस्सा यानि 2.1215 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। शरीफ मोहम्मद के फौत होने के पश्चात पूर्ण जांच कर मौका रिपोर्ट ली जाकर वर्षो से चली आ रही रीती के अनुसार विरासतन इन्तकाल दिनांक 06.10.2015 दर्ज किया गया। पूरे गांव में तमाम इन्तकाल मुस्लिम सम्प्रदाय के बहिस्सा बराबर विरासतन दर्ज हुए है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में अन्य नामान्तकरणो का जो इससे सम्बधित है उनका अवलोकन नही किया एव पूर्व में दस्तबरदारी के आधार पर पारित इन्तकाल दिनांक 22.05.2014 का भी अवलोकन नही किया अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2016 को निरस्त फरमाया जावे तथा मृतक शरीफ मोहम्मद की भूमि का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के बीच बहिस्सा बराबर विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2007 पृष्ठ 520, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेंट नं. 1 ता 5 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा मृतक शरीफ मोहम्मद के नाम दर्ज भूमि का विरासतन नामान्तकरण मुस्लिम विधि (सुन्नी सम्प्रदाय)

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुसार दर्ज करने के आदेश दिये है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार नोहर के निर्णय दिनांक 04.10.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें तहसीलदार नोहर द्वारा नामान्तरण सं. 994 दिनांक 06.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सं. 69/2015 में अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 18.03.2016 के द्वारा नामान्तरण सं. 994 को निरस्त करते हुए एल.आर.एक्ट.की धारा 40 के अनुसार काश्तकार की वैयक्तिक विधि कें अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रकरण तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित किया है जिस मे तहसीलदार नोहर द्वारा सभी पक्षो को सुनकर मुस्लिम काश्तकार होने के कारण मुस्लिम विधि के अनुसार उत्तराधिकार तय करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त दत्तक से संबंधित है जो इस प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होता है। इसके अतिरिक्त विधिक स्थिति स्पष्ट है कि धारा 40 एल. आर.एक्ट. के अनुसार काश्तकार के उत्तराधिकार मामले उसकी वैयक्तिक विधि से शासित होगे जब तक कि काश्तकार परम्परा से शासित विधि के अनुसार उत्तराधिकार तय करने हेतु निवेदन न करे। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो की ओर इस आशय की कोई लिखित सहमति नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली वाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.09.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।